

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 21.01.2021

थाना कैण्ट व शाहपुर में वर्दी धारी बदमाशों द्वारा की गयी लूट की सनसनी खेज घटना का अनावरण । अभियुक्तगण नगदी, सोना/चांदी के जेवरात (कुल अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार

थाना कैण्ट व शाहपुर में क्रमशः दिनांक 20.01.2021 व 29.12.2020 को वर्दी पहने बदमाशों द्वारा सनसनी खेज लूट की घटना सरार्फा व्यापारियों से कारित की गयी थी, जिस कारण व्यापारियों एवं आम जन मानस में सुरक्षा को लेकर भय एवं आतंक व्याप्त हो गया । इसके अतिरिक्त लोगों में दिन दहाड़े इस तरह की घटना होने पर आक्रोश भी पैदा हो गया। इन दोनों घटनाओं की गम्भीरता के दृष्टिगत मेरे द्वारा तत्परता से श्री मनोज अवस्थी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के नेतृत्व में सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज, क्षेत्राधिकारी अपराध / गोरखनाथ, क्षेत्राधिकारी कोतवाली एवं प्रभारी निरीक्षक कैण्ट, शाहपुर, थानाध्यक्ष राजघाट व पीपीगंज तथा क्राईम ब्रान्च की टीम गठित की गयी । मेरे द्वारा गठित टीम की कार्यवाही की समीक्षा व निर्देश के अनुक्रम में सीसीटीवी फुटेज व गोपनीय सुत्रों द्वारा उपलब्ध साक्ष्य / जानकारी के आधार पर आज दिनांक 21.01.2021 को निम्नलिखित अभियुक्तगणों व लूटे गये जेवरात व नगद रूपये की शत - प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की गयी हैं । विवरण निम्नवत हैं –

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. **धर्मेन्द्र यादव** (उ0नि0) थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती, मूल निवासी ग्राम जगरनाथपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर (गैंग सरगना)
2. **महेन्द्र यादव** (आरक्षी) थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती, मूल निवासी ग्राम रैकवार डीह थाना सराय लखनसी जनपद मऊ।
3. **संतोष यादव** (आरक्षी) थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती, मूल निवासी अलवरपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।
4. **देवेन्द्र यादव** (चालक) पुत्र राम प्रताप यादव निवासी करही थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।
5. **शैलेश यादव** (सूचनाकर्ता / पार्टनर) पुत्र स्व0 राम अवध यादव निवासी इटहिया थाना तुतुवारी जनपद महाराजगंज।
6. **दुर्गेश अग्रहरी** (सूचनाकर्ता / पार्टनर) पुत्र गणेश अग्रहरी निवासी मारवाडी टोला निचलौल थाना निचलौल जनपद महाराजगंज

अभियुक्तों के विरुद्ध एनएसए एवं गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जायेगी

गिरफ्तारी का स्थान

पैडलेगंज चौकी क्षेत्र थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी

- 1- 19 लाख रूपये नगद ।
- 2- 345.5 gm सोना / जेवरात (अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रूपये)
- 3- 4 kg 77 gm चाँदी (अनुमानित कीमत लगभग 04 लाख रूपये)
- 4- घटना में प्रयुक्त वाहन (बोलेरो- UP - 51 W - 1873)

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का विवरण

1. मु0अ0सं0 - 31/2021 धारा - 395,412 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 – 33/2021 धारा - 395,412,420 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर ।
- 3.

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक कैण्ट/ शाहपुर, थानाध्यक्ष राजघाट /पीपीगंज,क्राईम ब्रान्च व पुलिस बल ।

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रूपये का पुरस्कार दिया गया ।